संख्या-190/22-4-2010-48(70)/94टी0सी0-6

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-26 फरवरी, 2010

विषयः- जनपद शाहजहाँपुर में ग्राम मुर्छा परगना बड़ा गॉव तहसील पुवॉया में 25.892 हेक्टेयर भूमि नवीन जेल के निर्माण हेतु अर्जित 80 प्रतिशत धनराशि वितरण के लिए वांछित अतिरिक्त शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1853/नम-4(3) दिनांक-24.01.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहांपुर के स्थानान्तरणाधीन जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम मुर्छा परगना बड़ा गॉव तहसील पुवॉया जिला शाहजहांपुर में काश्तकारों की चयनित कुल भूमि 25.892 हेक्टेयर के क्रय/अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(1)/17(1) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-1642/22-4-08-48(70)/ 94टी0सी0-6 दिनांक-21 अगस्त, 2008 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या-2076/22-4-08- 48(70)/94टी0सी0-6 दिनांक-10 अक्टूबर, 2008 के आलोक में शासनादेश संख्या-692/ 22-4-2009-48(70)/94 टी0सी0-6 दिनांक-15 मई,2009 के अनुक्रम में अनुमानित प्रतिकर रु0-2,26,95,456.76 (रूपये दो करोड़ छब्बीस लाख पिच्यानवें हजार चार सौ छप्पन पैसा छिहत्तर मात्र) का 70 प्रतिशत अर्थात रु0-1,58,86,819.00 (रूपये-एक करोड़ अट्ठावन लाख छियासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक-15 मई, 2009 द्वारा दी गयी वित्तीय स्वीकृति के तारतम्य में बैनामें के आधार पर प्रतिकर के भुगतान हेतु अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि रु0-1,45,503.00 (रूपये एक लाख पैंतालीस हजार पॉच सौ तीन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर- 08-कारागारों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-613/दस-2010 दिनांक-26 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-190(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।